सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन
"फार्म मशीनरी बैंक स्थापना" वर्ष–2018–19 जनपद–अल्मोड़ा।

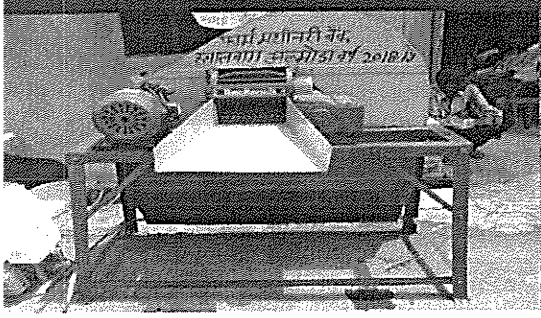

कृपया कृषक बन्धु ध्यान से पढ़े–

1. कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना अन्तर्गत फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना की जानी है।
2. प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना स्वयं सहायता समूहों में की जानी है। पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूह भी मान्य होंगे, साथ ही कृषको द्वारा नये समूह का गठन कर भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
3. समूह में कम से कम आठ सीमान्त एवं लघु किसानों की अलग–अलग जोत के कृषक सम्मिलित होने चाहिये। सभी सदस्य अलग–अलग परिवार के होने आवश्यक है।
4. समूह अधिकतम रू0 10.00 लाख तक के कृषि यंत्र रख सकते है। प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक हेतु कुल परियोजना लागत का 80 प्रतिशत अनुदान धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाएगा, 20 प्रतिशत अंश कृषक समूह स्वयं अथवा बैंक/संस्था से ऋण लेकर भुगतान कर सकते है।
5. कृषक अपने प्रार्थना पत्र मुख्य कृषि अधिकारी, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, विकासखण्ड प्रभारी, न्यायपंचायत प्रभारी के कार्यालय में दिनांक 31.10.2018 तक जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
6. आवेदन पत्र के साथ निम्न आवश्यक संलग्नक जमा करने होगें।
   - कृषकों की जोत का विवरण (खसरा खतौनी)।
   - आधार की छायाप्रति (प्रत्येक सदस्य की अनिवार्य)।
   - समूह का स्वयं सहकारिता के आधार पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
   - फार्म जमा करते समय दिये गये शुल्क (रू0 100.00) की विभागीय रसीद।
   - फार्म मशीनरी बैंक में कय किये जाने वाले यंत्रों का विवरण संलग्न करना आवश्यक होगा।

1. सभी प्रकार के शक्ति चालित, पशु चालित, मानव चालित जोकि क्षेत्र विशेष के लिए आवश्यक होंगे, फार्म मशीनरी बैंक के लिए सम्मिलित किये जाएगे।
2. 20 एच0पी0 से कम क्षमता वाले ट्रेक्टर फार्म मशीनरी बैंक में सम्मिलित किये जा सकते है। परन्तु 20 एच0पी0 से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर अधिकतम रू0 1.25 लाख ही अनुदान दिया जाएगा। एक फार्म मशीनरी बैंक के लिए एक ही ट्रैक्टर अनुमन्य होगा।
3. फार्म मशीनरी बैंक में कृषकों द्वारा कृषि यंत्रो का कय कृषि निदेशालय स्तर पर सम्बन्धित वर्ष /आवधि के लिए पंजीकृत किये गये फर्मो/विकताओं से ही किया जाएगा एवं कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था एफ0एम0टी0टी0आई0/बी0टी0एस0 द्वारा परीक्षित होने आवश्यक है।
4. समूह द्वारा पूर्व में फार्म मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सैन्टर प्राप्त न किया गया हो।
5. अधिक जानकारी के लिए मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा– 05962–230424, कृषि एवं भूमि सरंक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा– 05962–232468, कृषि एवं भूमि सरंक्षण अधिकारी, बाडेछीना – 05962–261061, कृषि एवं भूमि सरंक्षण अधिकारी, रानीखेत– 05966–240089, कृषि एवं भूमि सरंक्षण अधिकारी, भिक्यासैण– 05966–242037 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

कृषि विभाग जनपद–अल्मोड़ा।

(उत्तराखण्ड)

caoalmora@gmail.com

सम्पर्क सूत्र–05962–230424